भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 336
सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक)

भारत में बेरोजगारी दर

336. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2024 में बेरोजगारी में वृद्धि होने की संभावना के बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी चेतावनी पर सरकार ने ध्यान दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही के वर्षों में देश की बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश की वास्तविक मजदूरी वृद्धि अन्य विकासशील देशों के समान नहीं थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 4.2%, 4.1% और 3.2% थी। यह आंकड़ों दर्शाते हैं कि देश में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के आधार पर, पिछले कैलेंडर माह के दौरान, नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा औसत वेतन/वेतन आय, अप्रैल-जून, 2018 की अवधि के दौरान 16,848/- रु. की तुलना में अप्रैल-जून, 2023 की अवधि के दौरान बढ़कर 20,039/- रु. हो गई।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एक मांग आधारित वेतन रोजगार कार्यक्रम है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन का गारंटीशुदा वेतन रोजगार प्रदान करता है। मनरेगा के तहत 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3(1)(ख) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में तय की गई मजदूरी की न्यूनतम दरों की पांच साल के भीतर समीक्षा करने और यदि आवश्यक हो तो न्यूनतम दरों को संशोधित करने का आदेश देती है। बढ़ती कीमतों का ध्यान रखने के लिए, केंद्र सरकार, औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की मूल दरों को संशोधित करती है।

सरकार, समय-समय पर मजदूरी की न्यूनतम दरों की समीक्षा और संशोधन करती है और सभी रोजगारों में इसकी कवरेज बढ़ाती है और न्यूनतम वेतन प्रदान करती है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को संसद द्वारा पारित और दिनांक 08.08.2019 को अधिसूचित, वेतन संहिता अधिनियम, 2019 में पुनर्गठित और समामेलित किया गया है। वेतन संहिता, 2019, संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगारों के लिए सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और न्यूनतम वेतन प्रदान करती है और अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम वेतन की प्रयोज्यता को प्रतिबंधित करने के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत मौजूदा प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। यह संहिता केंद्र सरकार को, केंद्र और राज्य क्षेत्र में लागू न्यूनतम वेतन तय करने का आदेश देती है।

*****